



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-21082026-275642
CG-KA-E-21082026-275642

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4402]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 19, 2026/श्रावण 28, 1948

No. 4402]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 19, 2026/SHRAVAN 28, 1948

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पश्चिमी रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

बेंगलुरु, 19 अगस्त, 2026

का.आ. 4582(अ).— जबकि भारत सरकार (रेल मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु छावनी) द्वारा दिनांक 11.12.2025 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 2800(ई), जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, जिसके माध्यम से रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20A (जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) इसके अंतर्गत यह घोषणा की गई थी कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अधिग्रहण बेनाचीगेरे पर स्थित समपार फाटक सं. 44 के स्थान पर कर्नाटक राज्य के तुमकूरु जिले में तुमकूरु - मललसंद्रा स्टेशनों के बीच चै:75/300-400 पर आर ओ बी (रेल उपरी पुल) और एल एच एस के निर्माण करने के लिए प्रस्तावित है।

चूँकि उक्त अधिसूचना का विवरण रेलवे अधिनियम-1989 की धारा 2, खंड 20A के तहत 23.12.2025 को "उदयवाणी" और इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र में और दिनांक 23.12.2026 को 'द हिंदू' समपचार पत्र में प्रकाशित किया गया है। धारा 2, खंड 20D के तहत दायर आपत्तियां सक्षम प्राधिकारी को प्राप्त हुई हैं, जिन पर उचित रूप से विचार करके उनका निपटारा कर दिया गया है।

वहीं, रेलवे अधिनियम-1989 की धारा 2, खंड 20E के तहत, सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट रेल मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु छावनी को सौंप दिया है।

अब, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 2, खंड 20E के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, रेल मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु छावनी एतद्वारा यह घोषित करता है कि उक्त अनुसूची में बताई गई ज़मीन को ऊपर बताए गए उद्देश्य के लिए अधिग्रहित किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, रेलवे अधिनियम-1989 की धारा 2, खंड 20E के तहत, रेल मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु छावनी एतद्वारा यह घोषित करता है कि आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर, उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त होकर पूरी तरह से केंद्र सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

तुमकुरु जिले, कर्नाटक राज्य में कि.मी. 75/300 से कि.मी. 75/400 तक के भू-भाग में आने वाली, संरचनाओं सहित अथवा बिना संरचनाओं वाली अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य: कर्नाटक	जिला: तुमकुरु	तालुक: तुमकुरु
होबली: कसबा पश्चिम	ग्राम: हेगोरे	

क्र. सं.	सर्वेक्षण सं.	सरकारी / निजी भूमि	भूमि का वर्गीकरण	अधिग्रहित क्षेत्रफल				RTC धारक का नाम
				कुल	ए-खराब	बी-खराब	शेष	
1	8/1C (3172/18)	निजी	साइट	359.50 वर्ग फुट	—	—	359.50 वर्ग फुट	मोहम्मद आजम पुत्र स्वर्गीय अब्दुल रहमान
2	8/1C	सरकारी	सड़क	827.50 वर्ग फुट	—	—	827.50 वर्ग फुट	ले आउट रिजर्व सड़क
3	8/2	निजी	N.A.K	0-01 1/4	—	—	0-01 1/4	ओबल्य्या पुत्र ओबले गौडा
4	183 (661/7)	निजी	साइट	1159 वर्ग फुट	—	—	1159 वर्ग फुट	रत्नम्मा पुत्री नरसिंहय्या
5	183	निजी	साइट	552 वर्ग फुट	—	—	552 वर्ग फुट	तलवरिके इनाम
6	184/1	सरकारी	सरकारी	0-02	—	—	0-02	सरकारी
7	Gramathana	निजी	ग्रामठाण	348 वर्ग फुट	—	—	348 वर्ग फुट	ग्रामंतर
8	Road	सरकारी	सड़क	1-10	—	—	1-10	राष्ट्रीय राजमार्ग .-04 से कुमकुमनहल्लि रोड हद्दिदाडा रोड
कुल				1-13 1/4 + 3246 वर्ग फुट	—	—	1-13 1/4 + 3246 वर्ग फुट	—

सारांश

ग्राम	भूमि का वर्गीकरण	अधिग्रहित क्षेत्रफल (एकड़-गुंटा में)			
		कुल	ए-खराब	बी-खराब	शेष
हेगोरे	सड़क	1-10 + 827.50 वर्ग फुट	—	—	1-10 + 827.50 वर्ग फुट

	साइट	2070.5 वर्ग फुट	—	—	2070.5 वर्ग फुट
	एलियनेटेड (Alienated)	0-01 1/4	—	—	0-01 1/4
	सरकारी	0-02	—	—	0-02
	ग्रामठाण	348 वर्ग फुट	—	—	348 वर्ग फुट
कुल		1-13 1/4 + 3246 वर्ग फुट	—	—	1-13 1/4 + 3246 वर्ग फुट

[फा. सं. डब्ल्यू. 271/सीएन/बीएनसी/2026-27/भूमि एसआरपी/1727]

प्रदीप पुरी, मुख्य अभियंता-III/निर्माण/ बेंगलुरु छावनी

MINISTRY OF RAILWAYS

[South Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Bengaluru, the 19th August, 2026

S.O. 4582(E).— Whereas by the notification of the Central Government (Ministry of Railway, South Western Railway, Construction Organisation, Bengaluru Cantonment) **S.O. 5748(E) dated: 11.12.2025** published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) issued under Section 2, Clause 20A of Railway Act, 1989 (24 of 1989) (herein referred to as the said act) the Ministry of Railway, South Western Railway, Construction Organisation, Bengaluru Cantonment declare its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for in Construction of ROB and LHS in Lieu of LC No. 44 between Tumakuru-Mallasandra Ch:75/300-400 in the district of Tumakuru in the state of Karnataka.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Udaya Vani” News Paper dated 23.12.2025 and in “Indian Express” News Paper and “The Hindu” News Paper dated 23.12.2025 under Section 2, Clause 20A of Railway Act-1989. And whereas the Competent Authority has received objections filed under section 2, clause 20D, considered and settled the same appropriately.

And whereas, in pursuance of Section 2, Clause 20E of Railway Act-1989, the competent authority has submitted its report to the Ministry of Railway, South Western Railway, Construction Organisation, Bengaluru Cantonment.

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the Section 2, Clause 20E of Railway Act 1989 the Ministry of Railway, South Western Railway, Construction Organisation, Bengaluru Cantonment hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of Section 2, Clause 20E of Railway Act-1989, the Ministry of Railway, South Western Railway, Construction Organisation, Bengaluru Cantonment hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structures falling in the stretch of land from 75/300 Km to 75/400 Km. In the district of Tumakuru in the state of Karnataka.

STATE: KARNATAKA			DISTRICT: TUMAKURU		TALUK: TUMAKURU			
HOBLI: KASABA WEST					VILLAGE: HEGGERE			
Sl. No.	Sy. No.	Government / Private Land	Classification of land	Acquired Extent (In Acres-Guntas)				RTC Holders Names
				Total	A-Kharab	B-Kharab	Balance	

1	8/1C (3172/18)	Private	Site	359.50 Sq.Ft			359.50 Sq.Ft	Mohammed Azam S/O Late Abdul Rehaman
2	8/1C	Government	Road	827.50 Sq.Ft.	-	-	827.50 Sq.Ft.	Layout Reserve Road
3	8/2	Private	N.A.K	0-01 1/4	-	-	0-01 1/4	Obalaiah S/O Obalegowda
4	183 (661/7)	Private	Site	1159 Sq.ft.	-	-	1159 Sq.ft.	Rathnamma D/O Narasimhaiah
5	183	Private	Site	552 Sq.Ft.	-	-	552 Sq.Ft.	Talavarike Inam
6	184/1	Government	Government	0-02	-	-	0-02	Government
7	Gramathana	Private	Gramathana	348 Sq.Ft.	-	-	348 Sq.Ft.	Gramathana
8	Road	Government	Road	1-10	-	-	1-10	From N.H.-04 National Highway to way to Kumkumanahalli Road Haddidada Road
Total				1-13 1/4 + 3246 Sq.Ft.	-	-	1-13 1/4 + 3246 Sq.Ft.	-

ABSTRACT					
VILLAGE	CLASSIFICATION OF LAND	ACQUIRED EXTENT (In ACRES-GUNTAS)			
		TOTAL	A KHARAB	B KHARAB	BALANCE
Heggere	Road	1-10 + 827.50 Sq.Ft.	-	-	1-10 + 827.50 Sq.Ft.
	Site	2070.5 Sq.Ft.	-	-	2070.5 Sq.Ft.
	Alienated	0-01 1/4	-	-	0-01 1/4
	Government	0-02	-	-	0-02
	Gramathana	348 Sq.Ft.	-	-	348 Sq.Ft.
TOTAL	-	1-13 1/4 + 3246 Sq.Ft.	-	-	1-13 1/4 + 3246 Sq.Ft.

[F. No. W.271/CN/BNC/2026-27/Land SRP/1727]

PARDEEP PURI, Chief Engineer-III/Construction/Bengaluru cantonment